# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 35/2017

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| फालु कंवर पत्नि जुहारसिंह जाति भोमिया राजपूंत निवासी दयालपुरा तहसील आहोर जिला जालोर | | 1. कालुदेवी पत्नि भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गुडा बालोतान तहसील आहोर जिला जालोर<br>2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–
श्री निम्बाराम डांगी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री ललितकुमार खत्री, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.11.17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण संख्या 138/2016 में कालुदेवी बनाम फालु कंवर में उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खातेदारी भूमि 769/375 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 377 में से रास्ता उपलब्ध कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक गुडा बालोतान से रिपोर्ट तलब की तथा इसके पश्चात दिनांक 17.05.2017 को लोक अदालत कैम्प दयालपुरा में बहस सुनी जाकर तहसीलदार आहोर की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तथा सुनवाई हेतु नोटिस ही जारी नही किया गया तथा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक गुडा बालोतान द्वारा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में जांच की थी एवं दौराने जांच न तो अपीलाण्ट मौके पर उपस्थित थी तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1। इस सम्बन्ध में मौका कमिश्नर द्वारा भी पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने हेतु कोई नोटिस नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 316/2015 रणछोडराम बनाम मोहनलाल में जो रास्ता प्रदान किया गया, वह रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के लिये सबसे निकटतम है, इस तथ्य पर न तो भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा ध्यान दिया गया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किया गया। मात्र अपीलाण्ट की भूमि को टुकडो में करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में अपीलाण्ट को किसी भी रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया, जिससे अपीलाण्ट के जायज हक हकूक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

प्रभावित हुए है तथा स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना हुई है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है तथा सम्यक जांच के पश्चात निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। इसके उपरान्त भी यदि अपीलाण्ट इस आदेश से व्यथित है एवं माननीय न्यायलय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर कियां।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकनं से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन्दर्भित कानून के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर भू0अ0नि0 गुडा बालोतान से मौका जांच रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किये। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार का न तो नोटिस जारी किया तथा न ही नोटिस जारी करने बाबत कोई आदेश पारित किया। सम्पूर्ण पत्रावली में कहीं भी अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने का कोई उल्लेख नही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जैर अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नही किया तथा एकपक्षीय रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो बिधि सम्मत नही है। चूंकि दोनो ही पक्ष प्रकरण में प्रतिप्रेषित कराने हेतु सहमत है। अतः जैर अपील आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 138/2016 कालुदेवी बनाम फालुकंवर में पारित निर्णय दिनाक 17.05.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ उपखण्ड अधिकारी आहोर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष दिनांक 18.1.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के समक्ष उपस्थित रहे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली